पत्रांक संख्या–SG98 / 281 / 2023–24 दिनांक 01.05.2023

1. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
2. समस्त जिला सचिव
   भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0

विषयः– बी0एड0 / डी0एल0एड0 संस्थानों में अध्ययनरत् छात्राध्यापक / छात्राध्यापकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। पूर्व में निर्गत वे समस्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए वर्ष 2023–24 के लिए नये दिशा निर्देश संलग्न कर निर्गत किये जा रहे है।

2. वष 2023–24 से बी0एड0 / डी0एल0एड0 संस्थानों में स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण की कार्यवाही अर्थात शिविरों की अनुमति, शिविरोपरांत सूची भेजना एवं सूची के अनुरुप प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य आनलाइन ही होंगें।

3. उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि निर्गत दिशा निर्देशों का गम्भीरता से अवलोकन करते हुए क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। निर्गत दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
   संलग्नक–दिशा निर्देश

भवदीय

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
2. समस्त कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. निदेशक राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निशातगंज, लखनऊ।
4. समस्त सहायक प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
5. प्रादेशिक सचिव, , भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
6. प्रादेशिक संगठन आयुक्त, (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
7. प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त, (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
8. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
9. समस्त जिला मुख्यायुक्त / जिला आयुक्त, (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
10. समस्त जिला प्रशिक्षण / संगठन आयुक्त, (स्काउट / गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।

11. समस्त जिला स्काउट मास्टर (बेसिक) / जिला गाइड कैप्टन, (बेसिक), उ0प्र0।
12. समस्त डी0एल0एड0 / बी0एड0 संस्थान, उ0प्र0।
13. आई.टी. सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकन : 5306 / पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2023 तद्दिनांक– 26-9-23

1. समस्त प्रबंधक / प्राचार्य / प्राचार्या / बी0एड0 विभागाध्यक्ष, समस्त बी0एड0 महाविद्यालय, (सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. डॉ0 प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक 01.05.2023 एवं 04.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र दिनांक 21.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
6. वेबमास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव
26/9/23

स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स वर्ष 2023–24 (बी0एड0 / डी0एल0एड0) के आयोजन हेतु दिशा निर्देश :-

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षार्थियों हेतु निर्धारित है।
2. बी0एड0 डी0एल0एड0 शिविरों में एल0ओ0सी0 एवं स्टाफ की नियुक्ति निम्नानुसार होगी–
   (1)–एल0ओ0सी0 एल0टी0 ए0एल0टी0 अथवा हिमालय वुडबैज।
   (2)–सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) – एडवांस कोर्स / जिला संगठन कमिश्नर्स / जिला प्रशिक्षण कमिश्नर्स / काउन्सलर्स।
   (3)–सहायक स्टाफ (स्का0 विंग) – एडवांस कोर्स / जिला संगठन कमिश्नर्स / जिला प्रशिक्षण कमिश्नर्स / काउन्सलर्स।
3. बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षक नियुक्त किये जाने का दायित्व सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर(स्का0 / गा0) का होगा। सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर(स्का0 / गा0) मण्डल के सम्बन्धित जनपदो मे प्रशिक्षक नियुक्त करने मे जिला सचिव एवं जिला प्रशिक्षण कमिश्नर (स्काउट / गाइड) का सहयोग प्राप्त करेंगे।
4. बी0एड0 / डी0एल0एड0 शिविर में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की सूची एकरूपता की दृष्टि से प्रादेशिक मुख्यालय को संलग्न प्रारूप के अनुसार अनिवार्य रूप से ऑन लाइन प्राप्त करायी जाय। इसी के आधार पर प्रादेशिक मुख्यालय से आन लाइन प्रमाणपत्र निर्गत होंगें।
5. प्रत्येक बी0एड0 / डी0एल0एड0 शिविरों का जनपदीय एवं प्रादेशिक अंश जिला एवं प्रदेश कोष मे जमा कराने का शतप्रतिशत दायित्व सम्बन्धित मण्डल के सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) का होगा। यदि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता या नियमों की अवहेलना पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट / गाइड) का होगा।
6. शुल्क एवं सूची प्रादेशिक मुख्यालय में प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 05 कार्यदिवस के भीतर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा प्रमाणपत्र जिला संस्थान / सम्बन्धित संस्था को अनिवार्य रूप से आनलाइन ही प्रेषित करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरूष) और अधिकतम 4 प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक / पुरूष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होंगे।
8. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु समयावधि 5 दिन की होगी।
9. कोर्स में प्रतिभागी संस्थान के गणवेश में ही प्रतिभाग करेंगें।
10. केवल स्कार्फ एवं वागेल शिविर अवधि मे पहनना अनिवार्य होगा, जो भारत स्काउट और गाइड, प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
11. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र अर्थात जुलाई से जून की अवधि में किये जायेंगें। शत प्रतिशत सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा:–
   (क) –जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानो की सख्या का 25 प्रतिशत्।
   (ख) –अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानो की सख्या का 35 प्रतिशत्।
   (ग) –जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण सस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
   (घ) –अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण सस्थान की संख्या का 20 प्रतिशत्।
12. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु निम्नविवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और व्यय किया जायेगा–
   –**शिविर शुल्क रू0–1000 / –प्रति प्रतिभागी।**(जिसका विवरण निम्नवत् होगा)। –
   अ- प्रदेश अंश – रू0–350 / –प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी।
   रू0 –50 / – प्रति प्रतिभागी वेलफेयर फण्ड हेतु संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरत की जायेगी।
   ब–जिला अंश – रू0–150 / –प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी।
   स–संस्थान अंश रू0–450 / –प्रति प्रतिभागी, जिसमें से निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जायेगा:-
   (अ)–लीडर ट्रेनर – रू0–600 / प्रति दिन।
   (ब)–सहायक लीडर ट्रेनर – रू0–550 / प्रति दिन।
   (स)–हिमालय वुडबैज होल्डर–रू0–500 / प्रति दिन।
   (द)–एडवांस कोर्स – रू0–400 / प्रति दिन।
   (य)–मार्ग व्यय – रू0–100 / प्रति दिन की दर से।
   (र)–प्रशिक्षक अवधि मे प्रशिक्षकों के आवश्यक आतिथ्य सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

13. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को प्रादेशिक संस्था का संस्थागत सदस्य बनाये जाने के लिए प्रति संस्थान रू0–5,000/–(केवल एक बार) के साथ आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। शिविर अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति के समय इस बिन्दु का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

14. सत्र 2023–24 मे 01 अप्रैल,2023 से प्रारम्भ होने वाले बी0एड0/डी0एल0एड0 शिविरो के प्रमाणपत्र सहित समस्त कार्यवाही आनलाइन ही सम्पन्न होगी।

15. डी0एल0एड0 शिविरो हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी के रूप मे कार्य करगें।

16. बी0एल0एड0(बी0एड0) शिविरो के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकल्टी)/कुल सचिव या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

17. मण्डलीय सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्तगण बिन्दु 15 एवं 16 मे वर्णित नोडल अधिकारियो के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए कार्य करेगें।

पाठ्यक्रम –(डी0एल0एड0/बी0एड0 डी0पी0एड0/बी0पी0एड0)

1. स्काउटिंग गाइडिंग के आधारभूत तत्व।
2. स्काउटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति एवं प्रसार।
3. स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न शाखाए।
4. कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड रोवर/रेंजर के विकास के कार्यक्रम।
5. यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6. गाँठ एवं बन्धन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार(कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पृथक पृथक)
8. वर्दी, स्मार्टनेस, गुड आर्डर एवं संकेत।
9. दिशा ज्ञान, खोज के चिन्ह, अनुमान लगाना।
10. कैम्पिंग एवं हाइकिंग।
11. समारोह एवं प्रदर्शन।
12. विभिन्न प्रकार के अलंकरण/पुरस्कार।
13. अर्न्तराष्ट्रीय परियोजनाए जैसे–मैसेन्जर्स आफ पीस, सर्फरस्मार्ट, फ्रीबीइंग मी, आदि।
14. प्राथमिकता सहायता।

––––––––––––––––––––––X––––––––––––––––––––––

भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0

प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविरों का विवरण

मण्डल .... जनपद ....

महाविद्यालय / संस्थान का नाम .... E mail I.D: ....

शिविर की तिथियाँ .... से .... तक

प्रतिभागी छात्राध्यापक [ ] छात्राध्यापिकाएं [ ] कुल योग [ ]

कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षक	पद / दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो0नं0
1		शिविर संचालक		
2		सहायक		

कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

क्रम	नाम प्रशिक्षिका	पद / दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो0नं0
1		शिविर संचालिका		
2		सहायिका		

बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश –

1. महाविद्यालय को केवल रू0 550 / प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क देना है, जिसमें से 350 / - एवं रू0 50 / – कुल रू0 400 / प्रति छात्र / छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0 के नाम ड्राफ्ट / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तथा रू0–150 / –प्रति छात्र / छात्रा जिला संस्था के नाम चेक / ड्राफ्ट / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।
2. प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0, लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0 / नेफ्ट / मनी ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय–

खाते का नाम	:	प्रादेशिक सचिव,उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
खाता संख्या		10122401342
बैंक का नाम	:	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम		जवाहर भवन, लखनऊ
आई0एफ0एस0 कोड		SBIN0006144

3. पॉच दिवसीय शिविर अवधि में प्रशिक्षको के जलपान/भोजन/मानदेय की व्यवस्था महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की जायेगी।

जिला संस्था की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अंश रू0 ....(शब्दों मे) ....बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ....को जिला संस्था के कोष में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला संस्था की रसीद सं0..................दिनांक ....निर्गत की गई।

ह0 जिला सचिव

नाम :–..........................

मुहर

प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ :–

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अंश रू0..................(शब्दो में) ....बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/मनी ट्रान्सफर के माध्यम से दिनांक ....को प्रादेशिक संस्था के खाते मे जमा किया गया। महाविद्यालय/जिला संस्था के पक्ष में रसीद स0–..............दि0..............निर्गत की गई।

लेखाकार,
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0

[illegible] प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित प्रतिभागियों का सूची

गाइड विभाग - (छात्राध्यापिका)

प्रतिभागी विवरण :-

क्रम सं०	नाम	पिता का नाम	ई मेल आई०डी०	मोबाइल न०

....
ह० विभागाध्यक्ष
नाम ....
मुहर ....
मा०न० ....
ई मेल ....

....
ह० प्राचार्य
नाम ....
मुहर ....
मा०न० ....
ई मेल ....

....
ह० शिविर संचालक
नाम ....
मुहर ....
मा०न० ....
ई मेल ....

बी०एड०/डी०एल०एड०प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित प्रतिभागियों की सूची

स्काउट विभाग - (छात्राध्यापक)

क्रम सं०	नाम	पिता का नाम	ई मेल आई०डी०	मोबाइल न०

(प्रतिभागी विवरण :-)

....	....	....
ह० विभागाध्यक्ष	ह० प्राचार्य	ह० शिविर संचालक
नाम	नाम	नाम ....
मुहर	मुहर	मुहर ....
मो०नं०..............................	मो०नं०..............................	मो०नं०..............................
ई मेल	ई मेल	ई मेल ....